

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>गजेन्द्रसिंह गहलोत बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर ग्रामीण)</p> <p>सू.अ. अपील संख्या 23/2024</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>26 / 03 / 2024</p>	<p>अपीलार्थी गजेन्द्र सिंह गहलोत निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 05.01.2024 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रेषित नोटस क्रमांक 2652 दिनांक 21.11.2023 में की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर ग्रामीण) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर ग्रामीण) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर ग्रामीण) से जरिये पत्रांक 186 दिनांक 18.03.2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्रमाणित सूचना प्राप्त कर प्रार्थी को पत्र क्रमांक 185 दिनांक 18.03.2024 द्वारा निशुल्क प्रेषित की गई।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	